

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

बईजलास – अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 161/2014

तारीख दायर 10.09.2014

1. श्रीमति चम्पा देवी पत्नि श्री राजकमल जाति कंजर उम्र 40 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी कोतवाल का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

.....वादीया

बनाम

1. श्रीमति चंदा देवी पत्नि चंद्रमोहन जाति कंजर उम्र 45 वर्ष पेशा काश्त निवासी कोतवाल का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री चन्द्रमोहन पिता सबलियां कंजर उम्र 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी कोतवाल का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री प्रहलाद पिता चन्द्रमोहन कंजर उम्र 32 साल पेशा खेती निवासी कोतवाल का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
4. नाथु पिता चन्द्रमोहन कंजर उम्र 25 वर्ष पेशा खेती निवासी कोतवाल का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
5. मेनेजर साहब एस बी आई शाखा माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
6. मेनेजर साहब जी एस एस शाखा माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक 31.05.2017

डिक्री दिनांक 28.06.2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू वकील वादी महेश चन्द्र सुखवाल मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आ0 न0	रकबा	लगान
1	चम्पा देवी पत्नि राजकमल कंजर निवासी कोतवाल का खेडा रहन बदस्तुर	652/2 654/2	0.02 1.09	
	कुल किता	2	1.11	
2.	चन्दा देवी पत्नि चन्द्रमोहन कंजर निवासी कोतवाल का खेडा रहन बदस्तुर	652 654	0.07 1.04	
	कुल किता	2	1.11	

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में भूमि अलग अलग खाते दर्ज की जावें। साथ ही प्रतिवादी न0 1 को इस आशय की स्थापना निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही इस बाबत किसी अन्य को प्रेरित करें। नियमानुसार नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना करें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2017 को केम्प रलायता पर लिखवाया जाकर सुनाया गया।

— अर्पिता सोनी —
(अर्पिता सोनी)